FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

[illegible] उपखण्ड अधिकारी अंराई | मुकाम अराई (अजमेर)

• कमला पत्नि माघू आयु 81 वर्ष जाति बैरवा निवासी लाम्बा तहसील अरांई जिला अजमेर राज. व अन्य। —प्रार्थी

बनाम

• संजीव पुत्र लालाराम, जाति रेगर, निवासी बरणा, तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान अन्य। —अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा— प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज0का0अधि0 1955

दर्ज क्रमांक 92/2024

ऑनलाइन नंबर 2024/154

वकील प्रार्थी :— कुश कुमार | वकील अप्रार्थीगण....................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
18/9/24	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री कुश कुमार ने अन्तर्गत धारा 251(क) राज.का.अधि. के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 05/10/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई	
05/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार.......... दिनांक 25/10/24 को पेश हो।	
25/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार.......... दिनांक 06/12/24 को पेश हो।	
06/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. [illegible] कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश [illegible] दिनांक 10/1/25 को पेश हो।	

[illegible].0.25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.। ट्रेसपास नक्शा प्रति० व 2। व मौका रिपोर्ट पत्रावली दिनांक [illegible] को पेश हो।

21/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप.।
ट्रेसपास मौका रिपोर्ट
पत्रावली दिनांक 5.1.26 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
अरांई

5.1.26 पत्रावली पेश हुई आज बार [illegible] की [illegible] से कार्य स्थगित रखा गया।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 2.1.26 को
पेश हो।

2.1.26 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.। प्रतिवादी 1 व 2 उप.। प्रतिवादी 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। बहस सुनी गई। मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वादी का दावा स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसलशुदा होकर दाखिल दफ्तर हो।

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम(अराई) अजमेर

व इजलास श्रीमति नीतू मीना (आर.ए.एस.)

मु0नं0 92/2024

1. कमला पत्नि माधू, आयु लगभग 81 वर्ष,
2. कानी पुत्री गोपी, आयु लगभग 46 वर्ष,
3. किशना पुत्र माधू, आयु लगभग 64 वर्ष,
4. गोविन्द बैरवा पुत्र गोपी, आयु लगभग 55 वर्ष,
5. चौथी पत्नि पांचू, आयु लगभग 81 वर्ष,
6. नारायण पुत्र पांचू, आयु लगभग 45 वर्ष,
7. महावीर बैरवा पुत्र गोपी, आयु लगभग 59 वर्ष,
8. रंगलाल पुत्र हरजी, आयु लगभग 69 वर्ष,
9. रामस्वरुप पुत्र पांचू, आयु लगभग 52 वर्ष,
10. लक्ष्मण पुत्र पांचू, आयु लगभग 50 वर्ष,
11. संतोष पुत्री माधू, आयु लगभग 46 वर्ष,
12. सुप्यार पुत्री माधू, आयु लगभग 56 वर्ष,
13. सोहनी पुत्री गोपी, आयु लगभग 56 वर्ष,
14. हनुमान पुत्र पांचू, आयु लगभग 61 वर्ष,
15. हीरा पुत्र पांचू, आयु लगभग 38 वर्ष,

सर्वजाति बैरवा, निवासीगण ग्राम लाम्बा, तहसील अंराई, जिला अजमेर।

16. तेजूराम पुत्र रामनाथ, जाति बैरवा, आयु लगभग 50 वर्ष, निवासी ग्राम मोतीपुरा, तहसील अंराई, जिला अजमेर।

प्रार्थीगण

बनाम

1.संजीव पुत्र लालाराम, जाति रेगर, निवासी ग्राम बरणा, तहसील किशनगढ़ी लक्ष्मण जिला अजमेर।
2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अंराई

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांकः 2.1.126......

उपस्थितः वकील प्रार्थी कुश कुमार राठौड, सतवीरसिंह एडवोकेट

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री कुश कुमार राठौड के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की सह–खातेदारी का खेत जो कि राजस्व ग्राम–लाम्बा, पटवार हल्का क्षेत्र लाम्बा, भू० अभि० नि० क्षेत्र लाम्बा, तहसील– अंराई, जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके खसरा नम्बर जमाबन्दी सम्वत् 2076 के अनुसार खसरा संख्या 339 रकबा 1.6916 हैक्टेयर व खसरा संख्या 340 रकवा 0.0081 हैक्टेयर है। जिसमें प्रार्थीगण खातेदार एवं कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण की सह–खातेदारी की उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर के खेत पर आने जाने के लिए वर्तमान में किसी प्रकार का रास्ता विधमान नही है जिसके कारण से प्रार्थीगण को अपनी जोत पर पहुचनें व कृषि कार्य करने में असुविधा का सामना करना पड रहा है एवं अपनी जोत की सार सम्भाल करने में काफी समस्याओ का सामना करना पडता है तथा भूमि को जोतने आदि के लिए टेक्टर, थ्रेसर आदि को लाने ले जाने के लिए रास्ते की अत्यनत आवश्यकता है।प्रार्थीगण को अपनी जोत तक पहुचने के लिए सबसे निकटतम एवं एकमात्र रास्ता खसरा नम्बर– 2626/341 मे से होकर मुख्य मार्ग खसरा संख्या 328 जो कि लाम्बां से अंराई की ओर जाता है जो कि लगभग 60 फीट से अधिक चौडा है इस मार्ग के अतिरिक्त और कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। प्रार्थीगण को अपनी जोत तक पहुचने के लिए जो सबसे निकटतम एवं एकमात्र रास्ता है वहाँ तक पहुचने के लिए अप्रार्थी संख्या – 1 के खातेदारी की आराजी से होकर गुजरना पडता है जिसके खसरा नम्बर 2626/341 है इसमें से होकर ही प्रार्थीगण अपनी जोत तक पहुंच सकते है।प्रार्थीगण की जोत के निकटतम रास्ता जो कि खसरा संख्या 2626/341 में से होकर ही जाया जा सकता है जिसके लिए प्रस्तावित रास्ता प्रार्थताम् सचा

Nd

के साथ सलग्न नजरी नक्शा में डोटेड लाईन के मध्य दर्शाया गया है जिसके अनुसार प्रार्थी को रास्ता प्रदान करने की माननीय न्यायालय से प्रार्थना है।प्रार्थी को अपनी जोत तक पहुचने एवं कृषि साधनो को अपनी जोत तक पहुंचाने के लिए 30 फीट चौडा रास्ते की अत्यनत आवश्यकता है इसलिए मौका कमीशनर नियुक्त कर मौके कि रिपोर्ट मंगवाई जाकर एवं नियमानुसार अप्रार्थी संख्या 1 को कम्पनसेट किया जाकर खसरा संख्या 2626/341 में से नया रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण को अपने सह–खातेदारी के खेत का सुविधापूर्वक उपयोग व उपभोग करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है परन्तु रास्ता नही होने के कारण प्रार्थीगण को अपने कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है जिसका निवारण किया किये जाने का निवेदन किया है । उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा संख्या 339 व 340 के लिए नया रास्ता 30 फीट चौडा अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 2626/341 मे से दिलवाये जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें एवं प्रार्थीगण के हक करने हेतु वकील प्रार्थी ने निवेदन किया है ।

अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को दिनांक 18.9.2024 को विधिवत नोटिस तामिल हुये। दिनांक 16.12.2025 को तहसीलदार अराई द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार अराई द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में तहसीलदार अराई की मौका रिपोर्ट तथा तहसील राजस्व लेखाकार, तहसील अराई की रिपोर्ट के अनुसार नजरी मानचित्र में वर्णित ग्राम लाम्बा तहसील अराई में स्थित खसरा नं. 339 व 340 में आवागमन हेतु (संलग्न जमाबन्दी) खसरा नं. 2626/341 में से होते हुए रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम एवं वैकल्पिक मार्ग नहीं है। उक्त खसरा नं. 2626/341 से अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है। प्रस्तावित खसरा नं. 2626/341 से होते हुए खसरा नं. 339 व 340 में जाने हेतु बिन्दु सं. **A** से बिन्दु **B** तक दूरी 24 मीटर (78.72 फीट) बिन्दु सं. **Š** से बिन्दु **A** तक चौड़ाई (4.57 मीटर) 15 फीट व बिन्दु सं. **A** से **D** तक 24 मीटर (78.72 फीट) तक प्रभावित क्षेत्र 109.68 वर्ग मीटर (1180.80 वर्ग फीट) जिसका लाल स्याही से तैयार नजरी नक्शा संलग्न है। बिन्द्र सं. 04: **DLC** दर की प्रति संलग्न है। **DLC** दर **SH** रोड़ के मध्य से 200 मीटर तक **DLC** दर 960000 रू. प्रति हैक्ट. जिसके अनुसार रास्ते में प्रभावित क्षेत्रफल की राशि 10530/– रूपये प्रस्तावित राशि है। प्रस्तावित रास्ते में मौके पर चना की फसल काश्त है एवं रिकॉर्ड की वर्तमान स्थिति की जमाबंदी की प्रतिलिपि संलग्न है ।जिसमें मौके पर कब्जा काश्त है । हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है अतः तहसीलदार अराई की अनुशंषा एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिपूर्ण है । उपरोक्त विवेचन के अनुसार अग्रलिखित आदेश दिये जातें है:–

–: आदेश :–

3. प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम लाम्बा तहसील अराई में स्थित खसरा नं. 339 व 340 में आवागमन हेतु (संलग्न जमाबन्दी) खसरा नं. 2626/341 में से होते हुए रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम एवं वैकल्पिक मार्ग नहीं है। उक्त खसरा नं. 2626/341 से अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। प्रस्तावित खसरा नं. 2626/341 से होते हुए 15 फीट चोडा रास्ता खसरा नं. 339 व 340 में जाने हेतु बिन्दु सं. **A** से बिन्दु **B** तक दूरी 24 मीटर (78.72 फीट) बिन्दु सं. **Š** से बिन्दु **A** तक चौड़ाई (4.57 मीटर) 15 फीट व बिन्दु सं. **A** से **D** तक 24 मीटर (78.72 फीट) तक प्रभावित क्षेत्र 109.68 वर्ग मीटर (1180.80 वर्ग फीट) जिसका लाल स्याही से तैयार नजरी नक्शा संलग्न है। बिन्द्र सं. 04: **DLC** दर की प्रति संलग्न है। **DLC** दर **SH** रोड़ के मध्य से 200 मीटर तक **DLC** दर 960000 रू. प्रति हैक्ट. जिसके अनुसार रास्ते में प्रभावित क्षेत्रफल की राशि 10530/– रूपये प्रस्तावित राशि है। उक्त रास्ता निकटतम रास्ता प्रार्थी ने अप्रार्थी की रास्ते हेतु अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की एवज में रास्ते की राशि डीएलसी दर अनुसार अदा करने हेतु सहमति जाहिर की है। तहसीलदार अराई कीजांच रिपोर्ट कमांक भू0अ0/2025/7266 दिनांक 16.12.2025 के अनुसार भूमि अधिग्रहित की जाकर वाद अधीन भूमि की प्रचलित वर्तमान डी.एल.सी. दर अनुसार मूल्य 10530 जिसकी दुगुना राशि 21060/– अक्षरे इक्कीस हजार साठ रूपये होगी जो प्रार्थी द्वारा 88 राजस्व मण्डल 8443 सिविल डिपोजिट के मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा की जायेगी । उपरोक्त विवेचन के

आधार पर तहसीलदार अरांई को आदेश दिये जातें है उक्तानुसार राशि जो प्रार्थी द्वारा 88 राजस्व मण्डल 8443 सिविल डिपोजिट के मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा की जायेगी । प्रार्थी को अधिग्रहित भूमि वर्तमान डी.एल.सी. दर अनुसार मूल्य 10530 जिसकी दुगुना राशि 21060/– अक्षरे इक्कीस हजार साठ रूपये तहसीलदार अराई के माध्यम से राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार अराई को आदेशित किया जाता है कि उक्त मुआवजा राशि राजकोष में जमा होने के पश्चात उनकी रिपोर्ट के साथ संलग्न मौका पर्चा अनुसार रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में रास्ता सिवायचक दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम करे तथा प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा राशि को अप्रार्थी को नियमानुसार वितरित करने की कार्यवाही करे ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 2/1/26............ को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

नीतू मीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)